उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-101/2023/2286/तीस-3-2023
लखनऊः दिनांकः 07 अगस्त, 2023

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत श्री लक्ष्मीकांत, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रू0 15,600-39,100/-, ग्रेड वेतन रू0 5400/- (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रू0 56,100-1,77,500/-) में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) में पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री लक्ष्मीकांत की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) में प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में विचाराधीन रिट याचिका संख्या-2639/रिट ए/2022 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

2- श्री लक्ष्मीकांत, नवप्रोन्नत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। श्री लक्ष्मीकांत की पारस्परिक ज्येष्ठता सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर यथासमय यथानियम बाद में निर्धारित की जायेगी।

3- श्री लक्ष्मीकांत को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) फतेहपुर के रिक्त पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है। श्री लक्ष्मीकांत उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-101/2023/2286(1)/तीस-3-2023 तद्दिनांक।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उप सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-22/13/पी-9/सेवा-1/2023-24, दिनांक 21 जुलाई, 2023 के संदर्भ में।
5. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7. संबंधित अधिकारी।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ0प्र0 के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in